बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* **सुशील कुमार**
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* **खुर्शीद अनवर सिद्दिकी**
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक ......18...... दिनांक 27-8-2019

सेवा में,

निबंधक महानिरीक्षक,
बिहार सरकार।

विषय :– **निबंधित बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के निबंधन के संबंध में यह संज्ञान में आया कि "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन" जिसका निबंधन संख्या–633 / 2003–04 है, निबंधन के समय उसका हिन्दी रूपान्तर 'बिहार प्रशासनिक सेवा संघ' वर्णित नहीं हो पाया है। दिनांक–14.07.2019 को हुई वासा की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक (कार्यवाही प्रति संलग्न) की कंडिका–8 में यह निर्णय लिया गया कि **"बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन" निबंधित हुई जिसका निबंधन संख्या–633 / 2003–04 है। पूर्व से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के नाम से सभी कार्य हो रहे हैं।**

अतः बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का हिन्दी रूपान्तर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के नाम से किये जा रहे कार्यों को कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति दी गई जिसकी सूचना निबंधक, महानिरीक्षक को देने पर विचार किया गया।"

अतः अनुरोध है कि निबंधन संख्या–633 / 2003–04 में वर्णित "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन" के साथ–साथ इसका हिन्दी रूपान्तर "बिहार प्रशासनिक सेवा संघ" भी अंकित की जाय।

27/8/19
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव

27/08/19
सुशील कुमार
अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001

(पंजीयन सं. – 633 / 2003)

Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 12 दिनांक 14-7-2019

दिनांक–14.07.2019 को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार,

सर्वप्रथम कोषाध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संघ के आय–व्यय पर चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2018–19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

2. संघ के कार्यरत कर्मी श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह एवं श्री हेमन्त कुमार सिंह के मानदेय पर चर्चा की गई। वर्त्तमान में श्री हेमन्त को 9000 / – प्रति माह मानदेय दिया जाता है। विचारोपरान्त बढ़ाकर 12000 / –रूपये प्रति माह मानदेय दिया गया जो अगस्त माह से देय होगा।

श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह का मानदेय पूर्व से चतुर्थवर्गीय कर्मी के अनुरूप देने पर सहमति है। उन्हें छठा वेतनमान मे चतुर्थवर्गीय का वेतन के अनुरूप मानदेय दिया जा रहा है विचारोपरान्त श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह को सप्तम वेतनमान के चतुर्थवर्गीय कर्मी के अनुरूप मानदेय देने पर विचार किया गया।

3. 41–42वीं बैच एवं 43 से 46वीं बैच के पदाधिकारियों को 01.01.2019 से प्रथम / द्वितीय एम0ए0सी0पी0 दी गई है। लेकिन वित्त विभाग द्वारा इसकी गलत व्याख्या कर 01.04.2017 से वित्तीय लाभ दे रही है।

इस संदर्भ में संघ द्वारा प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव से वार्त्ता कर प्रतिवेदन भी समर्पित किया जा चुका है परन्तु उसका कोई फलाफल नहीं हो सका है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ द्वारा इस मामलें को माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

4. सदस्यों को जानकारी दी गई कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश द्वारा गैर सिविल सेवा के पदाधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति पर रोक लगायी गई है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तरप्रदेश के मामले की विवरणी के साथ संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया जाय।

5. सामान्य प्रशासन द्वारा पत्रांक–5066, दिनांक–11.04.2019 द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने पर चर्चा की गई। पूर्व में भी पत्रांक–11218, दिनांक–12.08.2014 द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अगुवाई में अन्य सेवा संघ के साथ आन्दोलन किया गया जिसके फलस्वरूप सामान्य प्रशासन के पत्र पत्रांक–4800, दिनांक–01.09.2016 द्वारा प्रोन्नति प्रारम्भ की गई।

प्रोन्नति पर रोक से सभी पदाधिकारियों का प्रोन्नति बाधित हो रही है जिससे पदाधिकारियों का मनोबल गिरता रहा है साथ ही पदाधिकारी सेवा निवृत भी हो रहे है। जिन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रोन्नति पर रोक से सदस्यों द्वारा चिन्ता जताई गई।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रोन्नति की देय तिथि से प्रोन्नति देने या इसकी भरपाई हेतु सेवा निवृति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

6. सदस्यों को बताया गया कि श्री अनिल कुमार, कोटि क्रमांक–850/2011 सम्प्रति आप्त सचिव, माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा निबंधक, महानिरीक्षक को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन (निबंधन संख्या–633/2003–04) के विरूद्ध परिवाद दिया गया है जिसकी जाँच सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा किया जा रहा है। सदस्यों को बताया गया कि श्री अनिल द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति किया गया हैः–

(i) बासा का ऑडिट गैर–कानूनी है।

(ii) बासा भवन का व्यवसायिक उपयोग करना एवं इसका व्यक्तिगत लाभ उठाना।

(iii) दिनांक–01.04.2018 को बासा भवन का उपयोग हेतु श्री अनिल को नहीं देना।

(iv) बासा भवन में गैर कानूनी ढंग से होर्डिंग लगाना एवं इसके आय का इन्कम टैक्स अदा नहीं करना।

(v) बासा का आमसभा समय पर नहीं कराना।

(vi) बासा का inspection उन्हें नहीं करने देना।

(vii) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के नाम से पत्राचार एवं अन्य कार्य करने पर आपत्ति एवं अन्य।

उपरोक्त पर सदस्यों को बताया गया उपरोक्त सभी आरोप मनगढ़न्त झूठा एवं व्यक्तिगत द्वेष की भावना से की गई है। पूर्व में भी इनके द्वारा whats app, face book पर संघ के बार में आपत्तिजनक बातें की गई है जिससे संघ की मर्यादा पर चोट पहुँची है इनका क्रिया कलाप संघ विरोधी है।

सदस्यों द्वारा श्री अनिल के द्वारा किये जा रहे उपरोक्त गतिविधियों पर घोर नराजगी जतायी गई।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बास़ा नियमावली के 2(iv) अनुसार श्री अनिल को विधिवत् सूचना देकर अपनी बात संघ में रखने का मौका दिया जाय। तद्नुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी नियमावली अनुसार निर्णय लेगा।

7. सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया है कि कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष किया जाय। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अगली आम सभा में प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा।

8. यह बात संज्ञान में आयी है कि ''बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन'' निबंधित हुई है जिसका निबंधन संख्या 633/2003–04 है। पूर्व से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के नाम से सभी कार्य हो रहे हैं।

अतः बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन का हिन्दी रूपान्तर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के नाम से किये जा रहे कार्यों को कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति दी गई जिसकी सूचना निबंधक, महानिरीक्षक को देने पर विचार किया गया।

9. विचारोपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का आम सभा नवम्बर, 2019 में बुलाये जाने पर विचार किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

14/7/19

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

14/7/19

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :–केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

14/7/19

खुर्शीद अनवर सिद्दिकी,
महासचिव